उपर्युक्त दर संरचना 1 नवम्बर, 1991 से लागू है। अलबत्ता, पिछले दो वर्षों के दौरान अर्थात 1992-93 और 1993-94 के दौरान नाबार्ड द्वारा प्रभारित वास्तविक ब्याज दरें 3 से 5 प्रतिशत के बीच हैं और देश के अधिकांश राज्य सहकारी बैंक न्यूनतम 3 प्रतिशत पर ब्याज प्रभारित कर रहे थे। नाबार्ड द्वारा सूचित किया गया है कि अलग-अलग ब्याज दरों के वर्तमान फार्मूला से सहकारी बैंकों को घाटा नहीं हो रहा है।

(ग) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा लागू नीति सदा इस सोच पर आधारित रही है कि रियायती पुनर्वित्त अनुपूरक किस्म का होना चाहिए और सहकारी ऋण संरचना में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए एक आंतरिक प्रणाली होनी चाहिए। इसके लिए ब्याज दरों की पुनर्वित्त की निर्भरता के प्रत्यक्ष अनुपात में जोड़ा जाना चाहिए।

गुजरात में महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता

5252. **अनन्तराय देवशंकर दवे:**
श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "महिला उद्यम निधि योजना" के अंतर्गत गुजरात की महिला उद्यमियों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का जिले-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे नये-छोटे तथा लघु उद्योग एककों को जिनकी परियोजना लागत 20 लाख रुपए से अधिक न हो, उनको कार्यकारी पूंजी प्रदान करने के लिए एक "सिंगल विंडो" योजना आरंभ की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन एककों के लिए कौन से मद आरक्षित किए गए है

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) लघु उद्योग क्षेत्र में नई औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए महिला उद्यमियों को इक्वटी जैसी सहायता प्रदान करने के लिए महिला उद्यम निधि योजना परिचालित कर रहा है। यह योजना केवल राज्य वित्तीय निगमों और दोहरा कार्य करने वाले औद्योगिक विकास निगमों के माध्यम से परिचालित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत सिडबी द्वारा राज्य स्तरीय संस्थाओं को दी जाने वाली सहायता पुनर्वित्त के रूप में होती है। सिडबी ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों में महिला उद्यम निधि के अंतर्गत गुजरात राज्य वित्तीय निगम से कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए सिडबी गुजरात राज्य में इस योजना के अंतर्गत कोई सहायता प्रदान नहीं कर सका। अलबत्ता, सिडबी ने इस योजना के अंतर्गत 1991-92 के दौरान गुजरात राज्य में 16 एककों को सहायता मंजूर की थी।

(ग) और (घ) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) अपने प्रारंभ से ही एकल खिडकी योजना परिचालित कर रहा है, जिसके अन्तर्गत लघु उद्योग क्षेत्र के एककों को अचल परिसंपत्तियों के लिए संमिश्र सहायता और कार्यशील पूंजी एक ही एजेंसी द्वारा प्रदान की जाती है। इस समय, एकल खिड़की योजना के अंतर्गत, कुल 50 लाख रुपए तक के परियोजना परिव्यय वाले लघु उद्योग क्षेत्र के एकक शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत, अति लघु और लघु उद्योग क्षेत्र के नए एककों के अलावा, वर्तमान में अच्छी झलत वाले एककों के आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन और संभावित रूप से अर्थक्षम रुग्ण एककों के पुनरूद्धार के लिए भी सहायता प्रदान की जा सकती है।

(ङ) सिडबी ने सूचित किया है कि इस योजना के अंतर्गत कोई भी मद आरक्षित नहीं की गई है और अति लघु तथा लघु उद्योग क्षेत्र के सभी पात्र एकक एकल खिड़की योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

Pension cases received by the Central Pension Accounting Office, New Delhi

5253. SHRI MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the pension cases received by the Central Pension Accounting Office, New Delhi from different Departments from December, 1994 to February, 1995 in which the payment of pension was to be made through Punajab National Bank in New Delhi areas;

(b) the details of cases disposed of by the said office alongwith the dates of disposal;

(c) the cases still pending and the reasons therefor; and

(d) by when the remaining cases are likely to be disposed of?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) there were a total of 174 cases received in Central Pension Accounting Office during the months of Nov.-Dec., 94 and January, 95 for payment of pension through Punjab National Bank in New Delhi areas.

(b) The details of the cases as at (a) above are enclosed in the Annexure. [*see* Appendix 173, Annexure No. 114]

(c) Nil

(d) Not applicable

Interim report on Security Scam

5254. SHRI JOYANTA ROY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an interim report of the inter-disciplinary group to trace the end use of misappropriated amount in the multi-crore security scam was prepared;

(b) if so, whether the said report *inter-alia* observed that the extent of transaction of only one broker stood at Rs. 69.717 crores;

(c) whether the report will be made public; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKARA MURTHY:): (a) to (d) The Inter-Disciplinary Group (IDG) appointed by the RBI had submitted an Interim Report in which it had *inter-alia* observed that scrutiny of the accounts of one broker (Harshad S. Mehta Group) had revealed a total turnover representing funds flow into the 143 accounts of the Group aggregating to Rs. 69,717 crores. The above amount reflects the total receipts and payments made from the account of broker. This position was also brought out in the Janakiraman Committee Report and JPC Report on the Irregularities in securities and banking transactions. The JPC Report had also indicated the total volume of security transactions undertaken by Harshad Mehta Group at Rs. 58,839.24 crores which represented the total face value of the securities deals. The gist of the findings of the IDG in its Interim Report were also furnished in the revised paragraphs of the ATR on JPC Report which was submitted in Parliament on 20.12.1994. The IDG has not completed its deliberations and submitted its final report.

हल्दिया उर्वरक निगम के बारे में औद्योगिक और वित्तीय बोर्ड द्वारा जांच

5255. श्री आस मोहम्मद: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हल्दिया उर्वरक निगम की रुग्ण हल्दिया उर्वरक-परियोजना के संबंध में औद्योगिक और वित्तीय बोर्ड द्वारा कोई जांच कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जांच के क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि उसने रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 16 के तहत हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि॰ से संबंधित जांच का कार्य प्रारम्भ किया है। यह कम्पनी अन्य बातों के साथ-साथ हल्दिया फर्टिलाइजर परियोजना का परिचालन करती है।

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि॰ के मामले में 19.01.1995 को बाइफर में अन्तिम सुनवाई हुई थी जिसमें पुनरुज्जीवन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के प्रवर्तक के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया था।